न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : श्री राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 05/2017 **दायर दिनांक –12.04.2017**
फैसल दिनांक –22.03.2018

श्रीमान् लेण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर(राज0)

प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

श्रीमती जयश्री पत्नि भूवेश लबाना, निवासी न्यू कॉलोनी जिला डूंगरपुर (राज0)

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति– 1. पैरोकार सरकार – अपीलान्ट
2. श्री संजीव भटनागर, एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा –75
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर डूंगरपुर
दिनांक 15.10.2014 प्रकरण संख्या 02/2014

– निर्णय –

यह अपील इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 02/2014 निर्णय दिनांक 15.10.2014 द्वारा विपक्षी को ग्राम लक्ष्मणपुरा की आ.नं. 806/760 में से 10.00 बीघा औद्योगिक प्रयोजनार्थ (रोलर फ्लोर मील ईकाई मय वेयर हाउस) स्थापना हेतु कीमतन 99 वर्ष की लीज पर आंवटित की गई भूमि को दो वर्ष की अवधि में आंवटित प्रयोजन उद्योग स्थापित नहीं करने से न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किये गये प्रकरण में पुनः औद्योगिक उक्त प्रयोजन आंवटन निरस्त करने से विपक्षी द्वारा पुनः राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर ने उनके प्रकरण संख्या 05/2014 निर्णय दिनांक 05.12.2016 द्वारा इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 02/2014 निर्णय दिनांक 15.10.2014 को अपास्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि प्रकरण में राज्य सरकार की मंशा अनुरूप उद्यमियों को प्रोहत्सान देने, रोजगार वृद्वि के दृष्टिकोण से राष्ट्र विकास के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में आंवटी को सुनवाई का अवसर देकर म्याद वृद्वि के प्रकरण में समुचित कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी प्रकरण की ओर से दिनांक 26.04.2017 को वकालतनामा पेश हुआ जो शामील पत्रावली किया गया।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

वकील विपक्षी द्वारा रिमाण्ड बिन्दुओं पर अपना पक्ष/जबाब एवं साक्ष्य भूमि आंवटी पत्रावली पर उपलब्ध होने से पुनः प्रस्तुत नहीं करने का अनुरोध किया। राजकीय पेरोकार एवं वकील विपक्षी की बहस समायत की गई।

राजकीय पेरोकर ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी को जिला कलक्टर डूंगरपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/आंवटन/2010/6394–6400 दिनांक 28.10.2010 द्वारा ग्राम लक्ष्मणपुरा की आ.नं. 806/760 रकबा 50.00 बीघा में से 10.00 बीघा भूमि औद्योगिक (रोलर फ्लोर मील ईकाई मय वेयर हाउस) प्रयोजनार्थ आंवटन की गई है तत्पश्चात् दिनांक 02.11.2010 को तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा आंवटित भूमि का विपक्षी को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया। विपक्षी को कब्जा सुपुर्द करने के पश्चात उनके द्वारा दो वर्ष की कालावधि में आंवटित प्रयोजन उद्योग की स्थापना कर उद्योग ईकाई से उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है। जिससे विपक्षी ने राजस्थान भू–राजस्व (औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1959 की शर्तों का उल्लंघन किया है। आंवटन शर्तों की पालना में 2 वर्ष की कालावधि के भीतर यदि विपक्षी आंवटित प्रयोजन उद्योग स्थापति करने में विफल रहने की स्थिति में समयावधि में म्याद बढाने हेतु आंवटन अधिकारी को आवेदन किया जाना चाहिये। आंवटन शर्तों के अनुसार विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में म्याद बढाने का कोई आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी उद्योग स्थापित कर उत्पादन करने में अभिरूचि नहीं रखना पाया गया। विपक्षी को आंवटित भूमि का कब्जा सुपुदर्गी दिनांक 02.11.2010 से 2 वर्ष के भीतर उचित कारण दर्शाकर सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से औद्योगिक प्रयोजनार्थ उक्त भूमि आंवटन खारीज करने का पेरोकार सरकार ने अनुरोध किया।

वकील विपक्षी ने बहस में बताया कि औद्योगिक आंवटित भूमि का भौतिक रूप से मौके पर कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया है। उक्त आंवटित भूमि की लीज डीड दिनांक 10.12.2010 को सम्पादित किये जाने के कारण विपक्षी द्वारा उद्योग स्थापित करने की आंवटन शर्तों के अनुसार 2 वर्ष की कालावधि के भीतर सक्षम अधिकारी को पेश किया गया है। वकील विपक्षी ने यह तथ्य भी प्रकट किये कि आंवटी द्वारा आंवटित प्रयोजन उद्योग स्थापित करने हेतु बिजली कनेक्शन के लिये आवेदन किया, किन्तु समयावधि में विद्युत कनेक्शन न मिलने तथा बैंक ऋण प्राप्त करने स्वीकृति की कार्यवाही में विलम्ब होने से निर्धारित अवधि में उद्योग स्थापित कर उत्पादन नहीं हो सका। विपक्षी वकील द्वारा यह कथन भी किया कि भूमि आंवटन की अवधि लीज डीड जारी होने की दिनांक से मानी जावे। विपक्षी की उद्योग स्थापित करने की पूर्ण मंशा रही हैं। जिसमें केवल भूमि आंवटन तिथि से 2 वर्ष की अवधि आंवटन शर्तों के अनुसार मानी जाना उचित नही है। वकील विपक्षी ने मा0 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 05.12.2016 मे दिये गये तर्कों अनुरूप औद्योगिक प्रयोजन आंवटन नियम 1959 के नियम 7 के तहत म्याद बढाने की समूचित कार्यवाही उचित है। आंवटी द्वारा अवधि आंवटन शर्तों की पालना हेतु एक वर्ष की

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

अवधि बढाने हेतु निवेदन अनुरोध कर विपक्षी का किया गया औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन को निरस्त किये गये आदेश को अपास्त करने का आग्रह किया गया।

हमारे द्वारा पक्षकारो की रिमाण्ड बिन्दुओं पर की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं आंवटन पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया।

विपक्षी की भूमि आंवटन पत्रावली एवं बहस के तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी को ग्राम लक्ष्मणपुरा की आ.नं. 806/760 में रकबा 10.00 बीघा औद्योगिक प्रयोजनार्थ (रोलर फ्लोर मील ईकाई मय वेयर हाउस) स्थापना हेतु कार्यालय के आदेश क्रमांक राजस्व/आंवटन /2010/6394–6400 दिनांक 28.10.2010 के द्वारा भूमि आंवटन किया गया। विपक्षी को उक्त औद्योगिक ईकाई हेतु आंवटित भूमि का अभिलेख अनुसार मौके पर कब्जा दिनांक 02.11.2010 को सुपुर्द किया गया। औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1959 के नियम 7 के तहत विपक्षी को जिस प्रयोजन हेतु 2 वर्ष की कालावधि में उद्योग स्थापित कर उत्पाद प्रारम्भ कर देना चाहिये था। विपक्षी द्वारा उक्त नियम 7 के तहत आंवटन शर्तों की पालना नहीं कर दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने की उपरान्त 10.11.2012 को उद्योग स्थापित करने हेतु अवधि बढाने का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय से उन्हें नोटिस जारी करने के पश्चात पेश किया है। विपक्षी ने आंवटन शर्तों का उल्लंघन किया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के रिमाण्ड बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में विपक्षी के ससुर के कृत्य के बारे में उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि श्री पुनम चन्द लबाना द्वारा उक्त प्रकरण में अपने पक्ष में निर्णय हेतु न्यायालय को प्रभावित करने का प्रयास किया तथा उन्होनें यह भी कथन किया कि वह अपीलीय न्यायालयों में भी प्रकरण का निर्णय उनके पक्ष में करवा सकते है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी के ससुर श्री पुनम चन्द लबाना न्यायिक प्रक्रिया में न्यायालय में हस्तक्षेप करना पाया गया। इस प्रकरण में विपक्षी को औद्योगिक प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आंवटन में जिस प्रयोजन हेतु भूमि आंवटन की गई है उस प्रयोजन आंवटन शर्तों की 2 वर्ष तक पालना नहीं कर उल्लंघन करना पाया गया।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तत्कालीन जिला कलक्टर डूंगरपुर द्वारा कार्यालय के आदेश क्रमांक 1203–9 दिनांक 17.04.2013 द्वारा विपक्षी को उक्त प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आंवटन निरस्ती आदेश में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी का प्रकरण निरस्त योग्य पाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की गई।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर